कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer Construction Division P.W.D. Purola
E-Mail eepwdpurola@rediffmail.com Fax/Tel No 01373-223324

पत्रांक 1081 / वनभूमि दिनांक 13 / 08 / 2024

सेवामें

उपवन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग
पुरोला।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5375 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण अनुभाग —4 का पत्रांक सं0 875 / 10—4—16 / 1(271) 2016 दिनांक 30 / 09 / 2016 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरंक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1222 / एफ0पी0 / यू0 / के0 / रोड / 16974 / 2015 देहरादून दिनांक 20 / 10 / 2016 एंव आपका पत्रांक 872 / 12—1 दिनांक 16 / 11 / 2016

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपानल में सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है।

1—शर्त सं0 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा—डामटी थुनारा के खाता सं0 00023 के खसरा सं0 1779 / 6.364 है0, 1781 / 0.201 है0, 1783 / 16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 हैक्टेयर भूमि जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 8337 / ग्यारह—विविध / 2019—20 दिनांक 10 / 09 / 2020 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण की जा चुकी है। सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रु0 2528885.00 एन0एफ0टी0एप्लीकेशन नं0 6116974630 दिनांक 27 / 07 / 2018 द्वारा जमा की जा चुकी है।

2—शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस—पास मक डिस्पोजल / 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रु0 2089135.00 एन0एफ0टी0 एप्लीकेशन नं0 6116974630 दिनांक 27 / 07 / 2018 द्वारा जमा की जा चुकी है।

3—शर्त सं0 3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 4260713.00 सम्वन्धित कोष एप्लीकेशन नं0 6116974630 दिनांक 27 / 07 / 2018 द्वारा जमा की जा चुकी है। एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशी दिनांक 03 / 08 / 2024 Transaction ID- wo4101422908241000 द्वारा रू0 2258178.00 कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

4—शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

5—शर्त सं0 5 के अनुपालन में रु0 8878733.00 एन0एफ0टी0 एप्लीकेशन नं0 6116974630 दिनांक 27 / 07 / 2018 द्वारा जमा की जा चुकी है। अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित।

6—शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

7–<u>शर्त</u> सं0 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों का लो0नि0वि0 पुरोला (प्रयोक्ता एजेन्सी) द्वारा अनुपालन किया जा चुका है। मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यावाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक /वनभूमि दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0,देहरादून।
3– वन संरक्षक यमुना वृत्त देहरादून।
4– अधिक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

शर्त सं0 4

विषय– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5375 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों से प्रयोक्ता एजेन्सी लो0नि0वि0 पुरोला द्वारा धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

शर्त सं0 6

विषय– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5375 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतीयों एवं भू:वैज्ञानिक द्वारा दिये सुझावों का मार्ग निर्माण के समय कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

Type : Normal

04101422908241000

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Balram Mishra
Reason :DDO E-Approval
Location: Purola Treasury
Date and Time: 03-08-2024 23:11:08

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम — उत्तरकाशी

2- कोषागार का नाम — पुरोला

3- देयक की अवधि कब से.........कब तक ....

4- रिकार्ड कोड — 1 0 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड — 4 1 0 1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या — 000352

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

- वाउचर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) — वाउचर का दिनांक

- मतदेय/भारित — मतदेय

- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 2 2 9

12- अधिष्ठान का नाम — अधिशासी अभियंता नि0 ख0 पी डब्लू डी पुरोला

13- अनुदान संख्या — 0 2 2   14- सोर्स कोड 1   15- सेक्टर कोड 2

कनेक्टिंग अनुदान संख्या

- आहरण से जुडे लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण या अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	4788858	4219471	569387

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	2258178
66 सकल धनराशि (आश्रित समायोजन के बाद)	2258178

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77 सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	2258178

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
66-	सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	2258178	
77-	सम्पूर्ण कटौतियां		
99	शुद्ध देय धनराशि (66-77)	2258178	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवययों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर

नियंत्रक /प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

Print Date : 03-Aug-2024

Scanned with OKEN Scanner

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

शि रु0 Rupees Twenty Two Lacs Fifty Eight Thousand One Hundred Seventy Eight Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है

क्रमण द्वारा रु० -

कुल धनराशि रु० 22,58,178

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP4101422908241003 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896116974705	2258178	0	0	2258178
					2258178	0	0	2258178

IFMS Uttarakhand

Print Date : 03-Aug-2024

Scanned with OKEN Scanner

Head of Account Ctr to Arakot Kalich thumara daviti Remening Part M/R

Passed for Rs 2258178=00

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पुरोला

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 264, 290 and 304)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पुरोला

Cash Book Voucher No__________ Date__________

(1) Pay by Cheque/Cash( ) __________ to Shri Uttaranchal Campa

(2) Paid by me

RECEIVED from the E. E C. D P.W.D Purola

Incharge of C. D P. W. D Purola

Sub-Division A. E III Division the sum of Rs.(2258178/-) twenty two Lakh fifty Eight thousand one hundred seventy Eight only

Name of work/purpose for which payment is made A/C No 150896116974705 (IFSC Code- UBI0996335) Union Bank of India FCS Centre. 21/1. III Floor jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Name of Road:- Arakot Kaliche thumara Remening Part M/R for Rs 2258178=

Prakash

Witness

Amount in Voucher

Signature of Payee

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पुरोला (उत्तरकाशी)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-07-2024

Agency Name.	PWD
Application No.	6116974705
MoEF/SG File No.	1(271)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, P.W.D. PurolaUttarkashi
Amount(in Rs)	2258178/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Fifty-Eight Thousand One Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116974705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-07-2024

Agency Name.	PWD
Application No.	6116974705
MoEF/SG File No.	1(271)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, P.W.D. Purola Uttarkashi
Amount(in Rs)	2258178/-

Amount in Words Twenty-Two Lakh Fifty-Eight Thousand One Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116974705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner

VKNO 14 dt 2-8-2018

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CO4101186508180007 Date :02-AUG-18

Div Code	:	1865	Division Name	:	Construction Division P.W.D.
Grant No.	:	PAC	Scheme	:	5054043370304 NV
Code	:	OP4101422900129	Name	:	Uttaranchal Campa
Project Name	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)			

ALLOTED AMT : 221849370 EXPENDITURE AMT : 54681508 REMAINING AMT : 167167862

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
Purola

Please pay to Uttaranchal Campa
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No. 150896116974630 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	801470.00
2.	Payment on A/C of following (Through book transfer)	
2.1	Income Tax -TDS (865800112000000) :	0.00
	Net :	801470.00

Amount in words : (Rs. Eight Lac One Thousand Four Hundred Seventy Only.)

Note: Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
लेखाधिकारी I
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
पुरोला
DAO/Sr.BAO Construction Division P.W.D. Purola

Signature with Seal
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
पुरोला (उत्तरकाशी)
Executive Engineer CD PWD Purola

For Treasury Use

Voucher No. ______

Voucher Date. / /

ID :CO4101186508180007 Date :02-AUG-18

Payment Id : ______

Passed Amount Rs. : 801470.00

Amount in words : (Rs. Eight Lac One Thousand Four Hundred Seventy Only.)

Bank Amount Rs. : 801470.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

Scanned with OKEN Scanner

Head of Account C/o Arakot Kalich thunara M/R Passed for Rs 801470=00

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 284, 290 and 304)

Cash Book Voucher No 14 Date 2.08.19

(1) Pay by Cheque/Cash( ) 801470=00 to Shri Uttaranchal Campa

(2) Paid by me Through Sumit Singh

RECEIVED from the E.E. C.D.P.W.D P.W.D Purola

Incharge of Div E.E

Sub-Division A.E III Division the sum of Rs.(801470=00) Eight Lacs one thousand for Hundred Seventy only

Name of work/purpose for which payment is made A/C No-150096116974630 Corporation Bank Lodhi Complex Branch Block 11. CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi-110003 for N.P.V Amount of Arakot Kalich thunara M/R

Prakash

Witness

Amount in Voucher

Signature of Payee

Scanned with OKEN Scanner

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के पत्र संख्या 1128/वन भूमि दिनांक 02 अगस्त 2020 के द्वारा विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा-डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी(अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 08बी0/ यू0सी0पी0/ 06/ 183/2016/ एफ0सी0/ 626 दिनांक 19-07-2017 एवं वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 213/ FP/ UK/ROAD/ 16964/2015 दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 01 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम ग्राम डामटी थुनारा तहसील मोरी के फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पुरोला ने तहसीलदार मोरी के पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षति0वृक्षा0/2015 दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी भूमि ग्राम डामटी थुनारा की 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के अनुरोध पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी पुरोला/तहसीलदार मोरी की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 तथा शासनादेश संख्या 2173/ XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप विकासखण्ड मोरी में आराकोट-

Scanned with OKEN Scanner

विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच- थुनारा- डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी (अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम ग्राम डामटी थुनारा की फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रकबा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 8337/ग्यारह-विविध/2019-20 दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
2- तहसीलदार, मोरी ।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
10/9/2020

Scanned with OKEN Scanner

सैद्धान्तिक स्वीकृति

संख्या: 875/X-4-16/1(271)/2016

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2016

विषय: जनपद-उत्तरकाशी के अंतर्गत विकासखण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.5375, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-247/FP/UK/ROAD/16974/2015 दिनांक 20 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी के अंतर्गत विकासखण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.5375, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.075 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।

2018/कनिष्ठ
15/10/016

2018/...
15/10/016

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 875(1)/X–4–16/1(271)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला उत्तरकाशी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

AE III/IV

Scanned with OKEN Scanner